

No.C-34/5/2024-Vig.

Government of India

Ministry of Culture

202 'D' Wing, Shastri Bhawan
New Delhi, Dated 18th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM


Subject : Observance of Vigilance Awareness Week, 2024- reg.

This has reference to CVC's circular No. 024/VGL/081-38615 dated 28.08.2024 regarding Observance of Vigilance Awareness Week, 2024 in the Ministry from 28th October to 03rd November, 2024 (copy enclosed).

2. NIC Cell, M/o Culture is requested to provide "hyperlink" for the Integrity Pledge, available on the website of CVC, on the website of this Ministry.

3. This issues with the approval of JS&CVO, M/o Culture.

Encl:- As above.


(Sanjay Gupta) 18.10.24

Under Secretary to the Govt. of India

To

NIC, M/o Culture



सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION



सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-10023

सं./No. 024/VGL/081-38615

दिनांक / Dated. 28.08.2024

Circular No. 09/08/24

Sub: Observance of Vigilance Awareness week 2024.

**Theme: "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि"
"Culture of Integrity for Nation's Prosperity"**

Vigilance Awareness Week is observed every year during the week in which the birthday of Sardar Vallabhbhai Patel (31st October) falls in. The Commission has decided that this year Vigilance Awareness Week would be observed from **28th October to 3rd November, 2024** with the following theme:

**"सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि"
"Culture of Integrity for Nation's Prosperity"**

2. The observance of Vigilance Awareness Week, 2024 would commence with the taking of the integrity pledge (copy enclosed as **Annexure A**) by public servants in the Ministries/Departments/Central Public Sector Enterprises (CPSEs)/ Public Sector Banks (PSBs) and all other organizations on **28th October, 2024 at 1100 hrs.**

3. All organizations are advised to conduct activities relevant to the theme that strives to bring about maximum public participation. It is imperative that all organizations should conduct outreach programs that aim to sensitize the public about the need for transparency and integrity in public governance.

D. Anand


4. Activities which may be conducted within the organizations include the following:
- Encourage employees to take e-pledge by visiting the website. Online "Integrity Pledge" is available at CVC's website (www.cvc.gov.in) and can be accessed by all.
 - Conduct workshops/sensitization programs for employees and other stake holders on policies/procedures of the organization and on Preventive Vigilance measures.
 - Conduct various competitions such as debates, quiz etc. for the employees and their families on issues relating to anti-corruption.
 - Promote the concept of e-Integrity Pledge by persons with whom the organization deals with.
 - Vigilance Study Circles may also conduct outreach and awareness programs.
5. Outreach activities for public / citizens may include the following:
- All Ministries / Departments / Organizations shall publicize integrity Pledge amongst all employees, their families, vendors / suppliers / contractors/ stake holders, students etc. to elicit wider participation. Integrity pledge for citizens and organizations are enclosed as **Annexure A and B** of this circular.
 - Organizations may undertake activities such as walkathons, marathons, street plays etc. which have visibility and mass appeal across all strata of society.
 - Extensive use of social media platforms, bulk SMS / e-mails, WhatsApp etc. for spreading awareness. For different social media related initiatives, the social media handles of the Central Vigilance Commission may be tagged. (Twitter: @CVCIndia; Facebook: CVCofIndia)
 - Organize grievance redressal camps for citizens/ customers by Organizations having customer-oriented activities. Similarly, vendor meets may be organized wherever necessary, through online mode or otherwise, whichever is more feasible.
 - Organize "Awareness Gram Sabhas" for dissemination of information regarding the menace of corruption and the different measures that the public can undertake to redress it, such as complaint portals, etc. As per past practice, Public Sector Banks need to conduct "Awareness Gram Sabhas" at the Branch level in at least two Gram Panchayats. Other organizations may also organize wherever possible. Indicative list of activities which can be conducted as part of "Awareness Gram Sabhas" is at **Annexure C** of this circular.
6. Selected Photographs / Media clips may be sent to the Commission through email at coord1-cvc@nic.in. Photographs and Media clips may be uploaded on departmental/ organizational websites.
7. A report on the observance of Vigilance Awareness Week may be sent by all Ministries / Departments / Organizations to Central Vigilance Commission in the format attached as **Annexure D** of this circular by **30th November, 2024**.
8. The Commission had earlier vide our circular of even number dated 01.08.2024 issued instructions detailing a **three-month campaign period (16th August, 2024 till 15th November, 2024)** vide which following preventive vigilance measures were indicated as focus areas to be



taken up by all the Ministries / Departments and Organizations and report to be submitted in prescribed format by **30th November, 2024** :

- a. Capacity Building programs
- b. Identification and implementation of Systemic Improvement measures
- c. Up-dation of Circulars / Guidelines / Manuals
- d. Disposal of complaints received before 30.06.24
- e. Dynamic Digital Presence

9. This notification is also available on the Commission's website at www.cvc.gov.in.


(P. Daniel)
Secretary

Encl: As stated.

To

- i. The Cabinet Secretary of India
- ii. The Secretaries of all Ministries / Departments of Government of India
- iii. The Chief Secretaries of all Union Territories
- iv. Director, CBI.
- v. Director of Enforcement
- vi. Chief Executives of all CPSEs / Public Sector Banks/ Public Sector Insurance Companies/Financial Institutions / Autonomous Organizations / Societies.
- vii. All Chief Vigilance officers in Ministries / Departments / CPSES / Public Sector Banks / Public Sector Insurance Companies / Financial Institutions / Autonomous Organizations / Societies.

Integrity Pledge for Citizens

I believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country.

I believe that all stakeholders such as Government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption.

I realize that every citizen should be vigilant and commit to highest standards of honesty and integrity at all times and support the fight against corruption.

I, therefore, pledge:

- To follow probity and rule of law in all walks of life;
- To neither take nor offer bribe;
- To perform all tasks in an honest and transparent manner;
- To act in public interest;
- To lead by example exhibiting integrity in personal behaviour;
- To report any incident of corruption to the appropriate agency

Integrity Pledge for Organizations

We believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country.

We believe that all stakeholders such as Government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption.

We acknowledge our responsibility to lead by example and the need to put in place safeguards, integrity frameworks and code of ethics to ensure that we are not part of any corrupt practice and we tackle instances of corruption with utmost strictness.

We realize that as an Organization, we need to lead from the front in eradicating corruption and in maintaining highest standards of integrity, transparency and good governance in all aspects of our operations.

We, therefore, pledge that:

- We shall promote ethical business practices and foster a culture of honesty and integrity;
- We shall not offer or accept bribes;
- We commit to good corporate governance based on transparency, accountability and fairness;
- We shall adhere to relevant laws, rules and compliance mechanisms in the conduct of business;
- We shall adopt a code of ethics for all our employees;
- We shall sensitize our employees of laws, regulations, etc. relevant to their work for honest discharge of their duties;
- We shall provide grievance redressal and Whistle Blower mechanism for reporting grievances and fraudulent activities;
- We shall protect the rights and interests of stakeholders and the society at large.

List of activities for conducting “Awareness Gram Sabhas” in rural and semi-urban areas

The following is a list of indicative activities for conducting “Awareness Gram Sabhas”:

1. Organize meeting in Gram Panchayats inviting all stake holders like the Sarpanch, members of Gram Panchayat, Self-Help Groups (SHGs), workers of MGNREGA, farmers, students, and citizens. Head of Gram Sabha / Sarpanch or any dignitary could be requested to deliver lecture on theme of Anti-Corruption followed by discussion. Anti-Corruption message in vernacular languages can also be displayed at the meeting.
2. Organize competitions like quiz, cartoon, slogans painting, rangoli, posters and walkathon / marathon / cyclothon etc.
3. Organize Melas to give wide publicity to the produce / products of the SHGs as motivational tools for integrating them with awareness creation effort.
4. Organize evening Choupals / meetings in villages / panchayats during which short plays / nautankies / kalajathas / folk songs / puppet shows, etc., can be organized focusing on the theme of Anti-Corruption.

Activity Report Format on Vigilance Awareness Week-2024**Name of the Organisation:****1. INTEGRITY PLEDGE****Table a): Integrity Pledge**

Total no. of employees who have undertaken e-pledge	Total no. of customers who have undertaken e-pledge	Total no. of citizen who have undertaken e-pledge

2. ACTIVITIES / EVENTS ORGANISED WITHIN THE ORGANISATION**Table a): Conduct of competitions**

Name of State	City/ Place	Specify program (Debate/ Elocution/ Panel Discussion etc.)	No. of participants	Remarks

Table b): Other Activities

Sl. No.	Activities	Details
1.	Distribution of Pamphlets/ Banners	
2.	Conduct of Workshop/ Sensitization programmes	
3.	Issue of Journal/ Newsletter	
4.	Any other activities	

3. OUTREACH ACTIVITIES

Table a): Involving students in Schools

Name of State	Name of city / town/ village	Name of school	Details of activities conducted (date of activities may also be mentioned)	No. of students involved
Total				

Table b): Involving students in Colleges

Name of State	Name of city / town/ village	Name of college	Details of activities conducted (date of activities may also be mentioned)	No. of students involved
Total				

Table c): "Awareness Gram Sabhas"

Name of State	Name of city / town/ village	Name of Gram Panchayat where "Awareness Gram Sabha" is held	Details of activities conducted (date of activities may also be mentioned)	No. of public / citizens participated
Total				

Table d): Seminars/ Workshops

Name of State	Name of city/ town/ village	No. of seminars/ Workshops organized	Details of activities conducted (date of activities may also be mentioned)	No. of public/ citizens participated

4. OTHER ACTIVITIES

Sl. No.	Activities	Details
1.	Display of Banners/ Posters etc	
2.	No. of grievance redressal camps held	
3.	Use of Social Media	

5. DETAILS OF PHOTOS ENCLOSED

(Photos may kindly be sent alongwith captions and also place & date of event)

Name of the activities held	No. of Photos	Whether photos are sent in soft copy or hard copy	If in soft copy, number of CDs attached

6. ANY OTHER RELEVANT INFORMATION, IF ANY:

(Brief write up on the activities conducted during Vigilance Awareness Week, not more than 1000 words, may be attached in a separate sheet)



सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION



सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-110023

संख्या – 024/वीजीएल/081-38615

दिनांक : 28.08.2024

परिपत्र संख्या 09/08/24

विषय: सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का अनुपालन।

थीम : “सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि”

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, प्रत्येक वर्ष उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्मदिन (31 अक्टूबर) आता है। आयोग ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर, 2024 से 3 नवंबर, 2024 तक निम्नलिखित थीम के साथ मनाया जाएगा :

“सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि”

- सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 का अनुपालन 28 अक्टूबर, 2024 को 11.00 बजे सभी मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों(सीपीएसई)/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और अन्य सभी संगठनों में लोक सेवकों द्वारा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा (अनुबंध क में संलग्न) लेने के साथ आरंभ होगा।
- सभी संगठनों को सलाह दी जाती है कि वह थीम से संबंधित कार्यक्रम संचालित करें जिससे अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित हो। यह आवश्यक है कि सभी संगठन अलग-अलग आउटरीच कार्यक्रम संचालित करें जिनका उद्देश्य लोक प्रशासन में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा की आवश्यकता के बारे में जनता को सुग्राही बनाना हो।
- संगठनों के भीतर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल करें:
क) कर्मचारियों को वेबसाइट पर जाकर ई-प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऑनलाइन “सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा” केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट (www.cvc.gov.in) पर उपलब्ध है और सभी व्यक्तियों द्वारा ली जा सकती है।

- ख) संगठन की नीतियों/प्रक्रियाओं और निवारक सतर्कता उपायों पर कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए कार्यशालाएं/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
- ग) भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों पर कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करें।
- घ) उन व्यक्तियों द्वारा ई-सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाए जिनके साथ संगठन का संपर्क है।
- ङ) सतर्कता अध्ययन समूह विभिन्न आउटरीच और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें।

5. जनता/नागरिकों के लिए आउटरीच कार्यकलापों में निम्नलिखित गतिविधि शामिल करें :

- क) सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन सभी कर्मचारियों, उनके परिवारों, क्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/हितधारकों, छात्रों आदि के मध्य व्यापक भागीदारी प्राप्त करने के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा का प्रचार करेंगे। नागरिकों और संगठनों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा इस परिपत्र के अनुबंध क और ख में संलग्न है।
- ख) संगठन वॉकथॉन, लंबी दौड़, नुक्कड़ नाटक आदि जैसे कार्यकलाप कर सकते हैं जिसकी दृश्यता और व्यापक प्रभाव समाज के सभी वर्गों में हो सके।
- ग) जागरूकता के प्रचार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बड़ी संख्या में एसएमएस/ई-मेल, व्हाट्सएप आदि का व्यापक उपयोग करें। सोशल मीडिया से संबंधित विभिन्न पहलों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सोशल मीडिया हैंडल को टैग किया जा सकता है। (ट्विटर: @CVCIndia; फेसबुक: CVCofIndia)
- घ) ग्राहक-उन्मुख कार्यकलाप वाले संगठनों द्वारा नागरिकों/उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जाए। इसी तरह, जहाँ भी आवश्यक हो, ऑनलाइन मोड के माध्यम से या अन्यथा, जो भी अधिक संभव हो, विक्रेता बैठकें आयोजित की जाएं।
- ङ) भ्रष्टाचार के खतरे के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए 'ग्राम सभा जागरूकता' का आयोजन करें और विभिन्न उपाय जो जनता निवारण के लिए कर सकती है, जैसे शिकायत पोर्टल आदि का प्रसार करें। पुरानी पद्धति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कम से कम दो ग्राम पंचायतों में शाखा स्तर पर 'ग्राम सभा जागरूकता' का आयोजन करना है। अन्य संगठन जहाँ कहीं भी संभव हो, ऐसे आयोजन कर सकते हैं। 'ग्राम सभा जागरूकता' के भाग के रूप में संचालित की जा सकने वाले कार्यकलापों की सांकेतिक सूची इस परिपत्र के अनुबंध ग में संलग्न है।

6. चयनित फोटो/मीडिया क्लिप आयोग को ई-मेल के माध्यम से coord1-cvc@nic.in पर भेजें। फोटोग्राफ और मीडिया क्लिप विभाग/संगठन की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अनुपालन पर एक रिपोर्ट इस परिपत्र के अनुबंध – घ में संलग्न प्रारूप में 30 नवंबर, 2024 तक केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजी जाए।

8. आयोग ने पूर्व में दिनांक 01.08.2024 के अपने समसंख्यक परिपत्र द्वारा तीन माह की अभियान अवधि (16 अगस्त, 2024 से 15 नवंबर, 2024 तक) का विवरण देते हुए अनुदेश जारी किए थे, जिसमें सभी मंत्रालयों

/विभागों और संगठनों द्वारा निम्नलिखित निवारक सतर्कता उपायों को फोकस एरिया के रूप में लिया जाना था और निर्धारित प्रारूप में 30 नवंबर, 2024 तक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना है:

- क) क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- ख) प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन
- ग) परिपत्रों/दिशानिर्देशों/नियमावलियों का अद्यतनीकरण
- घ) 30.06.2024 से पूर्व प्राप्त शिकायतों का निपटान
- ङ) सक्रिय डिजिटल विद्यमानता

9. यह अधिसूचना आयोग की वेबसाइट www.cvc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

हो/-
(पी. डेनियल)
सचिव

संलग्न: यथा उपर्युक्त

प्रति

- i) भारत सरकार के कैबिनेट सचिव
- ii) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों के सचिव
- iii) सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव
- iv) निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
- v) प्रवर्तन निदेशक
- vi) सभी सीपीएसई / सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों /सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों /वित्तीय संस्थानों / स्वायत्त संगठनों / समितियों के मुख्य कार्यकारी
- vii) सभी मंत्रालयों /विभागों /सीपीएसई / सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों /सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों /वित्तीय संस्थानों / स्वायत्त संगठनों / समितियों के मुख्य सतर्कता अधिकारी

नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है।

मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए।

अतः, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि:-

- जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा;
- ना तो रिश्तत लूँगा और ना ही रिश्तत दूँगा;
- सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूँगा;
- जनहित में कार्य करूँगा;
- अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा;
- भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेन्सी को दूँगा।

संगठनों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

हमारा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है।

हमारा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

इस दिशा में स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने तथा रक्षोपाय, सत्यनिष्ठा ढांचा तथा नीति-संहिता स्थापित करने के अपने उत्तरदायित्व को हम स्वीकार करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम किसी भी भ्रष्ट आचरण का हिस्सा नहीं हैं तथा भ्रष्टाचार के दृष्टांतों पर हम अत्यधिक सख्ती से कार्रवाई करते हैं।

हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन करने में तथा अपने कार्यों के सभी पहलुओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा सुशासन के उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए, एक संगठन होने के नाते हमें सामने से नेतृत्व करना होगा।

अतः हम प्रतिज्ञा करते हैं कि :

- हम नीतिपरक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देंगे तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे;
- हम ना तो रिश्तत देंगे और ना ही रिश्तत लेंगे;
- हम पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता पर आधारित निगमित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं;
- हम कार्यों के संचालन में संबद्ध कानूनों, नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे;
- हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति-संहिता अपनाएंगे;
- हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के ईमानदार निष्पादन के लिए, उनके कार्य से संबद्ध नियमों, विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएंगे;
- हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान तथा सूचना प्रदाता तंत्र उपलब्ध कराएंगे;
- हम संबंधित पक्षों तथा समाज के अधिकारों एवं हितों का समग्र रूप से संरक्षण करेंगे।

ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में “ग्राम सभा जागरूकता” के आयोजन के लिए कार्यकलापों की सूची

‘ग्राम सभा जागरूकता’ के आयोजन के लिए सांकेतिक कार्यकलापों की सूची निम्नलिखित है।

1. ग्राम पंचायत के सभी हितधारकों जैसे ग्राम पंचायत के सरपंच सदस्यों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), मनरेगा के श्रमिकों, किसानों, छात्रों और नागरिकों को आमंत्रित करते हुए बैठकें आयोजित करें। ग्राम सभा के मुखिया, सरपंच या किसी गणमान्य व्यक्ति को भ्रष्टाचार के विरुद्ध थीम पर व्याख्यान देने और उसके बाद चर्चा करने का अनुरोध किया जाए। बैठक में स्थानीय भाषाओं में भ्रष्टाचार विरोधी संदेश को भी प्रदर्शित कर सकते हैं।
2. प्रश्नोत्तरी, कार्टून, स्लोगन, पेंटिंग, रंगोली, पोस्टर और वॉकथॉन/मैराथन/साइक्लेथॉन आदि ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करें।
3. स्वयं सहायता समूहों के उत्पादन / उत्पादों के व्यापक प्रचार के लिए मेला का आयोजन करें जो उनको जागरूकता सृजन प्रयासों के साथ एकीकृत करने के लिए एक प्रेरक उपकरण के रूप में कार्य करे।
4. गांवों/पंचायतों में शाम की चौपालें/बैठकें आयोजित करें, जिसमें भ्रष्टाचार विरोधी थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए लघु नाटक/नौटंकी/कलाजत्था/लोकगीत/कठपुतली प्रदर्शन आदि का आयोजन किया जा सकता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024- कार्यकलाप रिपोर्ट प्रारूप

संगठन का नाम:

1. सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

सारणी क) : सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

कुल कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने ई-प्रतिज्ञा ली है	कुल ग्राहकों की संख्या जिन्होंने ई-प्रतिज्ञा ली है	कुल नागरिकों की संख्या जिन्होंने ई-प्रतिज्ञा ली है

2. संगठन के भीतर आयोजित कार्यकलाप / कार्यक्रम

सारणी क) : प्रतियोगिता का आयोजन

राज्य का नाम	शहर /स्थान	कार्यक्रम का विवरण (वाद विवाद/ स्थानीय/ समूह चर्चा आदि)	प्रतिभागियों की संख्या	टिप्पणी

सारणी ख): अन्य कार्यकलाप

क्र सं	कार्यकलाप	विवरण
1	पैम्फलेट/ बैनरों का वितरण	
2	कार्यशाला / जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन	
3	जारी जर्नल / सूचनापत्र	
4	अन्य कोई कार्यकलाप	

3. आउटरीच कार्यकलाप

सारणी क) : विद्यालयों में विद्यार्थियों की प्रतिभागिता

राज्य का नाम	शहर/नगर/ग्राम का नाम	विद्यालय का नाम	आयोजित कार्यकलापों का विवरण (कार्यकलापों की तिथि का भी उल्लेख किया जाए)	प्रतिभागी विद्यार्थियों की संख्या
कुल				

सारणी ख) महाविद्यालय के विद्यार्थियों की प्रतिभागिता

राज्य का नाम	शहर/नगर/ग्राम का नाम	महाविद्यालय का नाम	आयोजित कार्यकलापों का विवरण (कार्यकलापों की तिथि का भी उल्लेख किया जाए)	प्रतिभागी विद्यार्थियों की संख्या
कुल				

सारणी ग) : 'ग्राम सभा जागरूकता'

राज्य का नाम	शहर/नगर/ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम जहां 'ग्राम सभा जागरूकता' का आयोजन हुआ	आयोजित कार्यकलापों का विवरण (कार्यकलापों की तिथि का भी उल्लेख किया जाए)	प्रतिभागी जनता / नागरिकों की संख्या
कुल				

सारणी घ) : संगोष्ठी / कार्यशाला

राज्य का नाम	शहर/नगर/ग्राम का नाम	आयोजित संगोष्ठी /कार्यशाला की संख्या	आयोजित कार्यकलापों का विवरण (कार्यकलापों की तिथि का भी उल्लेख किया जाए)	प्रतिभागी जनता / नागरिकों की संख्या
कुल				

4. अन्य कार्यकलाप

क्र. सं.	कार्यकलाप	विवरण
1	बैनर / पोस्टर आदि का प्रदर्शन	
2	शिकायत निवारण शिविरों के आयोजन की संख्या	
3	सोशल मीडिया का प्रयोग	

5. संलग्न फोटो का विवरण

(कृपया फोटो को कैप्शन और कार्यक्रम के स्थान और तिथि के साथ भेजें)

आयोजित कार्यकलापों का नाम	फोटो की संख्या	क्या फोटो की सॉफ्ट अथवा हार्डप्रति भेजी गई है	यदि सॉफ्ट प्रति में, तो संलग्न सीडी की संख्या

6. अन्य कोई सम्बद्ध सूचना, यदि कोई है :

(सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण, जो 1000 शब्दों से अधिक न हो को अलग पृष्ठ पर संलग्न किया जाए)